पटना में दिनांक–25 फरवरी, 2019 सोमवार को अपराह्न 7:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के क्षेत्रीय स्तर पर कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन एवं विकास के लिए राज्य के प्रत्येक जिला में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का कार्यालय स्थापित करने एवं कार्यालय संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति।

1. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(कारा)

2. कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु बिहार कारा 'मिश्रक' संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 गृह विभाग (कारा) की स्वीकृति के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

3. खगड़िया जिलान्तर्गत चौथम प्रखंड में बागमती नदी के नवादा घाट पर 20X24.75 मी० आकार के उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 5614.00 लाख (छप्पन करोड़ चौदह लाख) रू० है, की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

4. बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड (एच०एस०सी०एल०) एवं जल संसाधन विभाग के साथ दिनांक–19.12.2005 को संपादित किये गए एम०ओ०यू० की पुर्नसमीक्षा वर्त्तमान परिपेक्ष्य में करते हुए एच०एस०सी०एल० को पूर्व में आवंटित कार्य यथा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–I एवं II (बागमती बायाँ तटबंध के कि०मी० 81.94 से कि०मी० 88.72 तथा बागमती दायाँ तटबंध के कि०मी० 79.00 से कि०मी० 91.41 तक अर्थात 19.19 कि०मी० को छोड़कर) के कार्यों के कार्यान्वयन तक एम०ओ०यू० को सीमित रखते हुए शेष कार्य यथा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–IV(a) का अवशेष कार्य एवं फेज–II के अंतर्गत बागमती बायाँ तटबंध के कि०मी० 81.94 से कि०मी० 88.72 तक तथा बागमती दायाँ तटबंध के कि०मी० 79.00 से कि०मी० 91.41 तक अर्थात कुल 19.19 कि०मी० तटबंध का अवशेष निर्माण कार्य सामान्य प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित कर कराने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।

4. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

5. पुनपुन बाँया तटबंध के चेन संख्या–764.00 (पुनपुन) से चेन संख्या–1245.00 (गोपालपुर) तक एवं खजुरी तटबंध के चेन संख्या–0.00 से चेन संख्या–189.00 तक कुल 20.43 कि०मी० में तटबंध के उपर पक्कीकरण का कार्य (प्राक्कलित राशि–3453.21 लाख रूपये) (चौतीस करोड़ तिरपन लाख इक्कीस हजार) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

5. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

6. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथ पर सारण जिलान्तर्गत गोल्डेनगंज स्टेशन के नजदीक स्थित LC No.-32C के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत सड़क उपरी पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण कार्य करने हेतु रेलवे से प्राप्त DPR की राशि ₹6274.34549 लाख (बासठ करोड़ चौहत्तर लाख चौतीस हजार पाँच सौ उन्नचास) में से राज्यांश के रूप में ₹3137.17 लाख (इक्कतीस करोड़ सैंतीस लाख सतरह हजार) मात्र की अनुमानित लागत राज्य योजना मद से वहन करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

6. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

7. बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार के पथों पर अवस्थित समपारों (Level Crossings) पर रेलवे तथा राज्य सरकार के बीच पचास–पचास प्रतिशत सहभागिता (Cost sharing) के आधार पर ROB (Road Over Bridge) के निर्माण (Railway portion एवं Approach portion सहित) हेतु MOU (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

8. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथ पर पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया छावनी के नजदीक स्थित LC No.-2 के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत सड़क उपरी पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण कार्य करने हेतु रेलवे से प्राप्त DPR की राशि ₹9379.67516 लाख (तिरानबे करोड़ उनासी लाख सड़सठ हजार पाँच सौ सोलह) में से राज्यांश के रूप में ₹4688.69 लाख (छियालिस करोड़ अठ्ठासी लाख उन्हत्तर हजार) मात्र की अनुमानित लागत राज्य योजना मद से वहन करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

8. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

9. पथ प्रमंडल हिलसा के अंतर्गत हिलसा बाईपास (पूर्वी) पथ के कि॰मी॰ 0 से 6.575 तक (कुल पथांश लम्बाई 6.575 कि॰मी॰) में भू–अर्जन कार्य एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्य सहित पथ निर्माण कार्य हेतु कुल 24598.73 लाख (दो सौ पैतालिस करोड़ अंठानवे लाख तेहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

10. पथ प्रमंडल हिलसा के अंतर्गत एकंगरसराय बाईपास पथ के कि॰मी॰ 0 से 3.80 तक (कुल पथांश लम्बाई 3.80 कि॰मी॰) में भू–अर्जन कार्य एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्य सहित पथ निर्माण कार्य हेतु कुल 4241.13 लाख (बेयालीस करोड़ एक्तालीस लाख तेरह हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में। 11. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

12. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रस्तावित "Bihar Civil Procedure (Mediation) (Amendment) Rules 2019" को अधिसूचित करने के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नगद प्रबंधन उत्पाद सेवा (Cash Management Product Services) के माध्यम से लाभूकों/प्राप्तकर्त्ताओं के बैंक खाते में सीधे भुगतान करने की व्यवस्था को अपनाने तथा सरकारी कोष से लाभ प्राप्त करने वाले लाभूकों के खाते में DBT करने हेतु आधार नंबर अनिवार्य करने के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. विश्व बैंक सम्पोषित स्वीकृत परियोजना लागत 357 मिलियन डालर (2234 करोड़ रूपये) जिसमें विश्व बैंक का ऋण एवं राज्य सरकार का हिस्सा 70:30 है, के आकार को कम कर 228 मिलियन डालर (1621.308 करोड़ रूपये) करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के नवनिर्मित भवन को Turnkey आधार पर, क्रियाशील करने के लिए 250 शैय्या हेतु मेडिकल/नन–मेडिकल फर्नीचर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, मेडिकल उपकरण आदि के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 74,56,00,000/–(रूपये चौहत्तर करोड़ छप्पन लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति। 15. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रू० 537.85 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 500,00,00,000/–(रूपये पाँच सौ करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति। 16. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

17. वित्तीय वर्ष 2018–19 अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के निर्माण हेतु कुल रूपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड़ रूपये) की स्वीकृति का प्रस्ताव। 17. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

18. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रू० 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 500,00,00,000/–(रूपये पाँच सौ करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। 18. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

19. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रू० 562.48 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 515,00,00,000/–(रूपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। 19. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

20. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रू० 552.02 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 515,00,00,000/–(रूपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति। 20. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

21. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रू० 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 515,00,00,000/–(रूपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। 21. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

22. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झंझारपुर (मधुबनी) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रू० 554.11 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 515,00,00,000/– (रूपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। 22. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

23. नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० के क्षेत्राधीन कांटी एवं कहलगॉव शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु क्रमशः 26.77 करोड़ (छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख) एवं 17.13 करोड़ (सतरह करोड़ तेरह लाख) रूपये अर्थात कुल 43.90 करोड़ (तैंतालीस करोड़ नब्बे लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 23. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

24. केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम०एस०डी०पी०), सम्प्रति प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी०एम०जे०वी०के०) के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखण्ड के नेजागाछ में स्वीकृत 01 इकाई राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित) की परियोजना में संवेदक द्वारा निर्धारित समय से पूर्व कार्य समाप्त करने के फलस्वरूप प्रोत्साहन राशि (Incentive)/बोनस एवं परामर्शी को भुगतेय राशि सहित कार्यान्वयन एजेन्सी भवन निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त समेकित पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुरूप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि रूपये 1230.00 लाख (बारह करोड़ तीस लाख) के अतिरिक्त अंतर राशि रूपये 4390.57955 लाख (तैतालीस करोड़ नब्बे लाख सनतावन हजार नौ सौ पचपन) विशेष राज्यांश के मद से व्यय की स्वीकृति सहित कुल रूपये 5420.57955 लाख (चौवन करोड़ बीस लाख सनतावन हजार नौ सौ पचपन) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

25. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(6) को उक्त नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से ही विलोपित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

25. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

26. राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को ईंख मूल्य के ससमय भुगतान सुनिश्चित कराने के निमित्त राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में इनके द्वारा पेराई सत्र 2018–19 में क्रय किये गए गन्ने पर 12.50 रू० प्रति क्विंटल की दर से कुल 112.50 करोड़ (एक सौ बारह करोड़ पचास लाख) रू० ईंख मूल्य अनुदान का चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपलब्ध राशि एवं शेष राशि का वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त बजट से भुगतान करने की स्वीकृति तथा पेराई सत्र 2018–19 के लिए ईंख "क्रय–कर" (Purchase Tax) की अदायगी से छूट प्रदान करने एवं क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन ईंख मूल्य के दर का 0.20% का पुनर्निधारण करने की स्वीकृति।

26. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

28. वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

वित्त विभाग

29. बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद ग्रामीण विकास पदाधिकारी से प्रोन्नति के पदसोपानों के लिए वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. राज्य के मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों जो दिनांक 01.01.2006 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत हैं को राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की भांति सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्रदान करने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

31. पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत एन०एच०–30 सकसोहरा बाजार से अदौली, भागा बिगहा, दर्वेशपुरा होते हुए बरूआने से शहरी सरमेरा पथ के कि०मी० 0.00 से 12.40 तक (कुल पथांश लंबाई 12.40 कि०मी०) में पथ परत कार्य, Rcc Box Culvert एवं आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल 5697.89 लाख (छप्पन करोड़ संतानबे लाख नवासी हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

गृह विभाग

32. राज्य में रोकड़ परिवहन कार्यकलापों को निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने संबंधी कार्य के विनियमन हेतु निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम–29) की धारा–25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित "बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्याकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियमावली, 2019" को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

33. बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

34. "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियमावली, 1957 (समय–समय पर यथा संशोधित)" के विनियम–7 (स) में संशोधन संबंधी अधिसूचना–प्रारूप की स्वीकृति। — 34. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

35. बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के निमित्त बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019 का गठन। — 35. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

36. "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के अंतर्गत लाभुकों द्वारा रू० 60,000/–(साठ हजार रूपये) तक की वास भूमि क्रय किये जाने संबंधी दस्तावेजों के निबंधन पर देय मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में कमी के संबंध में। — 36. स्वीकृत।

कृषि विभाग

37. राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थिति में फसलों में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान एवं आकस्मिक फसल योजना अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में रबी मौसम में भूमि में नमी की कमी को दूर करने के लिए फसलों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान मद में पूर्व में स्वीकृत 25000.00 लाख (दो सौ पचास करोड़) रू० के अतिरिक्त 5000.00 लाख (पचास करोड़) रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 37. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

38. विकास प्रबंधन संस्थान (DMI) के स्थायी परिसर हेतु बिहटा के सिंकदरपुर मौजा में अधिग्रहित 15 एकड़ भूमि पर भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में रू० 2,00,00,00,000/–(दो अरब) मात्र की लागत से प्रस्तावित भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति। — 38. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

39. बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 की अनुसूची–1 एवं नियम–8(iii) तथा नियम–10 में संशोधन की स्वीकृति तथा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के संबंध में। — 39. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

40. ₹1642.09 करोड़ (एक हजार छः सौ बयालिस करोड़ नौ लाख) रूपये मात्र की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति। — 40. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

41. पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत इस्लामपुर बाईपास पथ कोरवाँ से इस्लामपुर बुद्धनगर ग्राम तक कुल 7.70 कि०मी० पथांश लम्बाई का पथ परत कार्य, क्रॉस ड्रेन, भू–अर्जन, Utility Shifting, Road Safety कार्य आदि कार्य सहित निर्माण कार्य हेतु कुल 22738.31 लाख (दो सौ सताईस करोड़ अड़तीस लाख इक्तीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 41. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

42. माध्यमिक विद्यालयों से विहीन पंचायतों में 513 (पांच सौ तेरह) उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु प्रति विद्यालय ₹237.29 लाख की दर से कुल ₹121729.77 लाख (बारह अरब सतरह करोड़ उनतीस लाख सतहत्तर हजार) की स्वीकृति एवं तत्काल ₹2050.00 लाख (बीस करोड़ पचास लाख) की विमुक्ति एवं अनुवर्ती व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 42. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

43. वित्तीय वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा अभियान (तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान) अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम मद से ₹9,22,00,00,000/–(नौ अरब बाईस करोड़ रूपये) राशि की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 43. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

44. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम मद से 947 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण एवं प्रत्येक विद्यालय में दो इकाई शौचालय तथा एक इकाई चापाकल का निर्माण हेतु ₹1,91,39,84,438/–(एक अरब एकान्बे करोड़ उनचालीस लाख चौरासी हजार चार सौ अड़तीस रूपये) सहायक अनुदान की राशि के व्यय की स्वीकृति एवं ₹49,93,87,000/–(उनचास करोड़ तिरानबे लाख सतासी हजार रूपये) की विमुक्ति। — 44. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

45. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2019 की स्वीकृति के संबंध में। — 45. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

46. राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में। — 46. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

47. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या–2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस०एल०पी० संख्या–12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में Allowed/Referred श्रेणी के वादियों के सेवा अंतर्लीनीकरण (Absorption) हेतु शिक्षकों के 11 एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 111 अर्थात कुल 122 (एक सौ बाईस) अधिसंख्य पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 47. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

48. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में प्रणाली समाकलक के माध्यम से Point of Sale (PoS) यंत्र का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण मद में रू० 1405/– प्रतिमाह/PoS/FPS (सभी कर सहित) की दर से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 779 लाख (सात करोड़ उनासी लाख) रूपये एवं अगले पाँच वर्ष तक वार्षिक रूप से 9340 लाख (तिरानवे करोड़ चालीस लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति। — 48. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

49. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सुक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग द्वारा प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि रू० 3559.55 लाख (पैंतीस करोड़ उनसठ लाख पचपन हजार रू०) मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 49. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

50. दिनांक 09.10.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–35 में स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त करते हुए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू–अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP/DILRMP) को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक 05 (पाँच) वर्ष के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्यांश 127959.98 लाख रूपये (बारह अरब उनासी करोड़ उनसठ लाख अनठानवें हजार रूपया) तथा केन्द्रीय अंशदान की राशि 17407. 07 लाख रूपये (एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रूपये) अर्थात राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित कुल राशि 145367.05 लाख रूपये (चौदह अरब तिरपन करोड़ सड़सठ लाख पाँच हजार रूपया) के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 8946 (नियमित पद–1318, पूर्व से संविदा पद–191 एवं नव सृजित संविदा पद–7437) पदों के अवधि विस्तार/पद सृजन की स्वीकृति।

50. 31.03.2022 तक सर्वेक्षण पूर्ण करने के निदेश के साथ स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

51. विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 56(2) के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर ज्योति एवं घरेलू उपभोक्ताओं का माह सितम्बर 2017 के दो वर्ष पूर्व के आकलित राशि रू० 1850.00 करोड़ (एक हजार आठ सौ पचास करोड़) रूपये का एक बार समायोजन राज्य सरकार से प्राप्त निवेश की राशि रू० 1886.65 करोड़ (एक हजार आठ सौ छियासी करोड़ पैंसठ लाख) रूपये से करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

51. स्वीकृत।

वित्त विभाग

52. 1 अप्रैल 2019 में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू होने के उपरांत, बिहार कोषागार संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुकूल, प्रयुक्त Business Process नहीं होने की दशा में, बिहार कोषागार संहिता में व्यापक संशोधन अधिसूचित होने तक, वित्त विभाग को तत्हेतु परिपत्र–स्वरूप दिशा–निर्देश देने की शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में।

52. स्वीकृत।

वित्त विभाग

53. वर्ष 1997 एवं 2003 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 'बार' से सीधे नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को वार्धक्य पेंशन गणना करने हेतु सेवा अवधि में वेटेज देने के संबंध में।

53. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

54. नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 89 (नवासी) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 54. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

55. राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पेंशन पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 55. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

56. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के मदरसा के अन्तर्गत 205 एवं 609 कोटि के मदरसा तथा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 कोटि के मदरसा में दिनांक–15.02.2011 के पश्चात् विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रदान करने के संबंध में। 56. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

57. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु कुल रू० 89,24,85,000/–(नवासी करोड़ चौबीस लाख पचासी हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू० 10,00,00,000/–(दस करोड़) मात्र तत्काल सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 57. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

58. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसा अर्थात कुल 1128 मदरसों एवं विभिन्न स्तर के मान्यता प्राप्त 531 संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए सप्तम वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। 58. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

59. बिहार आने वाले पर्यटकों को आधुनिक सुविधा युक्त आवासन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पी०पी०पी० मोड में होटल, रिजॉर्ट, रिटेल आउटलेट्स इत्यादि का निर्माण एवं संचालन करने के संबंध में। 59. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

60. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन कर बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति एवं उक्त नियमावली के अनुसूची–1 में स्वीकृत पद बल में संशोधन करने के संबंध में। 60. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

61. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल के परिसर में स्थापित L-III स्तरीय ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 73 (तिहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति। 61. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(सिविल विमानन निदेशालय)

62. दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर Civil Enclave का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए 31 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य योजना से अनुमानित मुआवजा राशि 12143.72 लाख रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अर्जित भूमि को भारतीय वायुसेना से आदान–प्रदान (अन्तर्हस्तांतरण) कर उक्त भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करने की स्वीकृति। 62. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

63. बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी को छोड़कर प्रोन्नति के पदसोपान के लिए स्वीकृत वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में। 63. **स्वीकृत।**